राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5417/2022

डॉ. नितेश कुमार शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीयू2015026595)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 22.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अमित माथुर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी स्थाई रूप से 40 प्रतिशत से अधिक निशक्त व्यक्ति है। अपीलार्थी जयपुर जिले का निवासी है। अपीलार्थी पूर्व में डूंगरपुर में कार्यरत था। उसने अपना स्थानांतरण जयपुर जिले में कराने के लिए पूर्व में अभ्यावेदन दिया था, किंतु अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा डूंगरपुर से टोंक किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा टोंक कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी ने पुनः अपना अभ्यावेदन ऑनलाईन भर कर दिया है, जो अनुलग्नक–1 है। अपीलार्थी स्वयं निशक्त व्यक्ति है तथा उसकी दो नाबालिक पुत्रियां है एवं 80 वर्ष के वृद्ध पिता है। अपीलार्थी का टोंक स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को भारी असुविधा होगी। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन में उसका स्थानांतरण जयपुर में किये जाने की प्रार्थना की है, परंतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना जो अभ्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रखा है, उसे निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो अभ्यावेदन अनुलग्नक–1 ऑनलाईन प्रस्तुत कर रखा है, उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)